न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार, मीणा आर.ए.एस

प्रकरण नं :– 236/2016

दायरा दिनांक :– 21.11.2016

अन्नतराम पुत्र श्री देवाराम जाति ब्राहम्ण निवासी भैरूपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

1. जीताराम पुत्र श्री बिरधाराम जाति नायक सा. भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़।
2. जलन्धरसिह पुत्र श्री सरजीतसिह जाति मजहबी सा भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह. सूरतगढ।
3. अमीचन्द पुत्र श्री भोमाराम जाति बावरी साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह. सूरतगढ।
4. छीरासिह पुत्र श्री दलवारा सिह जाति मजहबी सा. भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह. सूरतगढ।
5. बलराम पुत्र श्री रामकरण जाति बावरी साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह. सूरतगढ।
6. बनवारी पुत्र श्री मोटाराम जाति बाबरी साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह. सूरतगढ।
7. मनीराम पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट सा भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह सूरतगढ।
8. खेताराम पुत्र श्री काशीराम जाति जाट सा भेरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह सूरतगढ।
9. तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 209 आरटीए 1955

–: उपस्थित :–

1. श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट – वादी
2. श्री जसवीर सिह एडवोकेट –प्रतिवादी न. 7
3. श्री धर्मपाल सिहाग एडवाकेट – प्रतिवादी न. 8
4. पैरोकार राज नायब तहसीलदार – प्रतिवादी न. 9

निर्णय दिनांक :–07.08.2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि वादी एंव प्रतिवादी न. 7 व 8 के नाम से रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी के खसरा से पैमूद 6.238 हैक. रकबा में वादी का 5.871 हैक. व प्रतिवादी न. 7 व 8 का शेष रकबा है। वादी के नाम के पूर्व में यह रकबा टीसी से पुख्ता आवटन था वादी ने प्रतिवादी न. 7 मनीराम को 0.418 हैक. रकबा का बैचान किया व प्रतिवादी न. 8 की माता कमला को 0.126 हैक. रकबा का बैचान किया कमला ने दान पत्र अपने पुत्र खेताराम प्रतिवादी न. 08 के हक में करवा दिया। इस प्रकार इस प्रकरण में वर्णित रकबा में वादी एंव प्रतिवादी न. 07 व 08 का ही हक बनता है। घरू बटवारा में वादी के पास चक 14 एसएलडी के पत्थर न. 74/380 (3) के किला न 20, 21 में 0.393 हैक. व प. न 75/380(4) के किला न. 11, 16 ता 25 में 2.215 हैक व प. न. 76/380(5) के किला न 16/.190 हेक, 17/.152 हैक व 25/.253 हैक इस प्रकार इस पत्थर में 0.595 हैक. व प.न. 75/381(11) के किला न 1 ता 5, 8 ता 10 में 2.024 हैक. व प.न 76/381(10) के किला न 5 में 0.253 हैक व प.न. 74/381(12) के किला न 1 में 0.228 हैक इस प्रकार 5.708 हैक. रकबा व प्रतिवादी न. 07 के कब्जा काश्त में चक 14 एसएलडी के पत्थर न. 76/380 के किला न. 13/0.164, 19/0.126, 20/0.114 हैक. कुल 0.404 हैक. रकबा है। उसके रकबा में से किला न. 20 में से 1 बिस्वा रकबा रास्ता में चला आया व

क्रमश पेज ..... 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी न. 8 के कब्जा काश्त में पत्थर न. 76/380 के किला न. 18/0.126 हैक. रकबा है। इसी प्रकार वादी एंव प्रतिवादी न. 7 व 8 काश्त करते है। चक 14 एसएलडी के पत्थर न. 76/380 के किला न. 25/0.253 हैक. व पत्थर न. 76/381 के किला न. 5/0.253 हैक. रकबा जिसका कब्जा वादी के पास में चला आ रहा है। इन दोनो किलो के पश्चिम की तरफ प्रतिवादी न. 1 ता 6 के प्लाट है। इन प्लाटो की आड में प्रतिवादी न. 1 ता 6 ने वादी के कब्जा काश्त के पत्थर न. 76/380 के किला न. 25 व पत्थर न. 76/381 के किला न. 5 के पश्चिम पासा में 4–4 बिस्वा चौड़ाई में उतर – दक्षिण लम्बाई में कुल 8 बिस्वा रकबा पर नाजायज तरीके से अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा कर रखा है। प्रतिवादी न. 1 ने वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त के पत्थर नं. 76/380 के किला नं. 25 के (पश्चिमी पासा) 120×33 = 3960 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 2 ने प्रतिवादी नं. 1 के दक्षिणी दिशा में इसी पत्थर के इसी किला नं. 25 के (पश्चिमी पासा) 34×33 = 1122 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 3 ने प्रतिवादी नं. 2 के दक्षिणी पासा की तरफ इसी किला नं. 25 के (पश्चिमी पासा) 11×33 = 363 वर्गफुट व पत्थर नं. 76/381 के किला नं. 5 के पश्चिमी पासा पर 23×33 = 759 वर्गफुट रकबा पर व प्रतिवादी नं. 4 ने प्रतिवादी नं. 3 के दक्षिणी पासा के इसी पत्थर के किला नं. 5 के (पश्चिमी पासा) 67×33 =2211 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 5 ने प्रतिवादी नं. 4 के दक्षिणी की तरफ इसी किला नं. 5 के (पश्चिमी पासा) 64×33 = 2112 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 6 ने प्रतिवादी नं. 5 के दक्षिणी की तरफ इसी किला नं. 5 के (पश्चिमी पासा) 11×33 = 363 वर्गफुट पर कब्जा कर रखा है। दावा पेश होने के 1 वर्ष पहले से कच्ची – पक्की दीवारे बनाकर कब्जा कर लिया था। वादी को जब नाजायज कब्जा की जानकारी मिली तो प्रतिवादी न. 1 ता 6 ने 3 – 4 माह बाद कब्जा हटाने का आश्वासान दे दिया तत्पश्चात् हर 15 दिन बाद कब्जा हटाने का बहाना लेकर टालमटोल करते रहे फिर 15 दिन बाद का कह दिया। तत्पश्चात् दिनाक 29.05.2016 को पैमाईश करवाई तो फिर 2 माह का समय माग लिया। इसके पश्चात् वादी ने दिनाक 25.10.2016 को गॉव में मौजीजान लोगो की पचायंत बुलाकर कब्जा हटाने का कहा तो उन्होने कब्जा हटाने से इन्कार दिया। वादी के रकबा पर प्रतिवादीगण जबरिया काबिज है व वादी के खातेदारी रकबा जो मौका पर टयूबवैल से सिचित है इस प्रकार इस चक में ठेका भी 20,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष बनता है। वादी को प्रतिवादीगण ने उसके हको से महरूम रख रखा है प्रतिवादीगण ने कच्ची – पक्की दीवारे व खड़डर नुमे मकान भी बना रखे है इसलिये प्रतिवादी न. 1 ता 6 को वादी के उक्त रकबा पर से बेदखल करके जरिये पुलिस कब्जा दिलवाया जावे व अतिक्रमण की दिनाक से कब्जा मिलने की तारीख तक प्रतिवादी न. 1 ता 6 से 20,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रतिभूति राशि जमा करवाई जाकर वादी को दिलाई जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को ज़रिये साधारण व रजिस्टर्ड दोनो से सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी न. 7 व 8 ने इकबाल दावा पेशकर दावा डिक्री करने का निवेदन किया व प्रतिवादी न. 1 ता 5 को खुद को तामिल हो जाने के उपरान्त भी इस न्यायालय में उपस्थित जानबुझकर ना होने से उनके खिलाफ दिनाक 06.06.2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई व प्रतिवादी न. 06 को जो कि सम्मन के समय जेल में होने से जरिये रजिस्टर्ड तलबी करवाई गई। फिर भी उसकी और से ना तो कोई जवाब आया व ना ही कोई उपस्थित आया इसलिये उसके खिलाफ दिनाक 28.12.2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई व राजस्थान सरकार की और से उचित समय देने के उपरान्त भी जवाब पेश ना होने से उसका जवाब बन्द किया गया। दावा व जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया कि वादी एंव प्रतिवादी न. 7 व 8 चक 14 एसएलडी के पत्थर न. 76/380 के किला न. 25/0.253, व पत्थर न. 76/381 के किला न. 5/0.253 हैक. रकबा के खातेदार कृषक है व इन किलो के पश्चिमी पासा के 4–4 बिस्वा रकबा पर प्रतिवादी न. 1 ता 6 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है ?

– वादी

कायम पेज ..... 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested

2. आया वादी प्रतिवादीगण के अवैध निर्माण को तुड़वाकर इस रकबा पर से प्रतिवादीगण को जरिये पुलिस बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का हकदार है ?

– वादी

3. आया वादी दौरान दावा प्रतिवादीगण से 20,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से केश सिक्योरिटी प्राप्त करने का हकदार है ?

– वादी

4. अन्य अनुतोष .....

तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य में वादी खुद का शपथ पत्र पीडब्लयू 1 प्रस्तुत किया व पीडबब्लयू 2 काशीराम पुत्र लेखराम का ब्यान जरिये शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ व साक्ष्य प्रतिवादी नही करवाने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये व उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रतिवादी न. 1 ता 6 को जैरप्रकरण रकबा पर से अतिक्रमी घोषित किया जाकर कब्जा जरिये पुलिस दिलवाये जाने व कब्जा मिलने पर नकद प्रतिभूति के रूप में 20,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से कायम कर यह राशि वादी के हितो की सुरक्षा बाबत जमा करवाई जाकर वादी को दिलाई जाने का निवेदन किया व प्रतिवादी न. 7 व 8 के अधिवक्ता ने वादी के रकबा पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित करने में अपनी सहमति प्रकट की।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श न. 1 के अनुसार चक 14 एसएलडी में 6.238 हैक. खातेदारी रकबा है जो वादी एंव प्रतिवादी न. 7 व 8 का खातेदारी है। प्रतिवादी न. 1 ता 6 का इस रकबा में कोई हक नही बनता है ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी इस पत्रावली में पेश नही है। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य एंव शपथ पत्र पर प्रस्तुत साक्ष्यो के अनुसार हम तनकीबार निर्णय करना उचित समझते है।

1. तनकी न. 1 :–आया कि वादी एंव प्रतिवादी न. 7 व 8 चक 14 एसएलडी के पत्थर न. 76/380 के किला न. 25/0.253, व पत्थर न. 76/381 के किला न. 5/0.253 हैक. रकबा के खातेदार कृषक है व इन किलो के पश्चिमी पासा के 4–4 बिस्वा रकबा पर प्रतिवादी न. 1 ता 6 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है ?

– वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है दस्तावेजी जमाबन्दी के अनुसार चक 14 एसएलडी के पत्थर न. 76/380 के किला न. 25/0.253, व पत्थर न. 76/381 के किला न. 5/0.253 हैक. रकबा वादी एंव प्रतिवादी न. 7 व 8 के नाम खातेदारी है। चुकिः प्रतिवादी न. 7 व 8 जो कि सहखातेदार है वो इन दोनो किलो का घरू बटवारा वादी के पास कब्जा काश्त होना दर्शा रहे है। इस दस्तावेजी जमाबन्दी के अनुसार इन दोनो किलो पर काबिज हरने का अधिकार वादी एंव प्रतिवादी न. 7 व 8 के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के साथ दिनाक 29.05.2016 की दैनिक डायरी प्रदर्श न. 02 के अनुसार इन दोनो किलो के पश्चिमी पासा पर प्रतिवादीगण व गॉव के मौजीजान लोगो की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया गया व इन दानो किलो के आशिक रकबा पर किला न. 25 में जीतराम व किला न. 5 में अमीचन्द पुत्र भीमा बावरी व शिरासिह पुत्र दरबारासिह व बनवारी पुत्र मोटाराम बावरी इत्यादि का कब्जा है व इन्होने आशिक रकबा पर मकान बना लिये है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार प्रतिवादी न. 1 ता 6 को इस रकबा पर कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। यह रकबा तो वादी एंव प्रतविादी न. 7 व 8 का वर्तमान में सहखाता का रकबा है चुकिः प्रतिवादी न. 7 व 8 ने घरू बटवारा में यह रकबा वादी के कब्जा काश्त में दर्शाया है उन्होने अपना कब्जा इस सहखाता के अन्य किलो पर दर्शाया है व प्रतिवादी न. 7 व 8 अपनी सहमति से इस खाता में घरू बटवारा करके रकबा काश्त कर रहे है तथा इन प्रतिवादी न. 1 ता 6 को भी इस रकबा पर नाजायज काबिज मानकर अतिक्रमी घोषित किया जाकर इस रकबा का कब्जा वादी को दिलाये जाने में सहमति दी है। प्रतिवादी न. 1 ता 6 जिनको वास्तविकता में इस प्रकरण की जानकारी हो चुकी है परन्तु वो इस न्यायालय द्वारा भेजे गये सम्मनो के बुलावे पर जानबुझकर हाजिर नही हुये व इस रकबा पर उन्हे काबिज

क्रमश पेज ..... 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested

होकर कच्चे – पक्के मकान या कोई भी निर्माण करने का अधिकार नही है तथा इस खातेदारी रकबा पर वादी के हितो की सुरक्षा करना भी न्यायालय का फर्ज है व प्रतिवादी न. 1 ता 6 को इस रकबा पर वादी की इच्छा के बिना काबिज होने से अतिक्रमी मानता हूँ व प्रतिवादी न. 1 ने चक 14 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 76/380 के किला नं. 25 के 120×33 = 3960 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 2 ने प्रतिवादी नं. 1 के दक्षिणी दिशा में इसी पत्थर के इसी किला नं. 25 के 34×33 = 1122 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 3 ने प्रतिवादी नं. 2 के दक्षिणी पासा की तरफ इसी किला नं. 25 के 11×33 = 363 वर्गफुट व पत्थर नं. 76/381 के किला नं. 5 के पश्चिमी पासा पर 23×33 = 759 वर्गफुट रकबा पर व प्रतिवादी नं. 4 ने प्रतिवादी नं. 3 के दक्षिणी पासा के इसी पत्थर के किला नं. 5 के 67×33 =2211 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 5 ने प्रतिवादी नं. 4 के दक्षिणी की तरफ इसी किला नं. 5 के 64×33 = 2112 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 6 ने प्रतिवादी नं. 5 के दक्षिणी की तरफ इसी किला नं. 5 के 11×33 = 363 वर्गफुट अतिक्रमी घोषित करना उचित समझता हूँ। इस रकबा पर प्रतिवादी न. 1 ता 6 को कब्जा बनाये रखने का कतई हकदार नही मानता हूँ। इसलिये इस तनकी का निर्णय बहक वादी किया जाता है।

तनकी न. 2 :–आया वादी प्रतिवादीगण के अवैध निर्माण को तुड़वाकर इस रकबा पर से प्रतिवादीगण को जरिये पुलिस बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का हकदार है ?

– वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है तथा तनकी न. 1 में जब प्रतिवादी न. 1 ता 6 को चक 14 एसएलडी के पत्थर न. 76/380 के किला न. 25 व पत्थर न. 76/381 के किला न. 5 पर अतिक्रमी घोषित किया जा चुका है तो इस रकबा का कब्जा प्रतिवादीगण के निर्माण तुड़वाकर वादी हो दिलाया जाना उचित है। वादी जो कि इस रकबा का खातेदार काश्तकार है व खातेदार काश्तकार हितो की सुरक्षा व खातेदारो के रकबा पर भूमाफिया किस्म के लोगो का कब्जा ना हो इसलिये खातेदारो के अधिकारो की सुरक्षा भी करना में उचित समझता हूँ। चुकिः वादी काफी वर्षो से अपने रकबा से वचित हेा गया है व प्रतिवादी न. 1 ता 6 ने जबरिया वादी के रकबा पर कच्चा – पक्का निर्माण किया है प्रतिवादीगण ने करीब 4 बिस्वा चौड़ाई में इन 2.00 बीघा में करीबन 8 बिस्वा रकबा पर अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है। अगर इस प्रकार से अतिक्रमियो के हौसले बढ़ते रहे तो सदभाविक काश्तकारो के रकबा पर ऐसा भू माफिया लोग खातेदारो को उनके हितो से वचित करने में देर नही करेगे। इसलिये इस रकबा पर से प्रतिवादी न. 1 ता 6 के अवैध निर्माण को तुड़वाकर इस रकबा पर से प्रतिवादीगण न. 1 ता 6 को बेदखल कर कब्जा बहक वादी दिलवाया जाना उचित समझता हूँ। इसलिये इस तनकी का निर्णय भी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी न. 3 :–आया वादी दौरान दावा प्रतिवादीगण से 20,000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से केश सिक्योरिटी प्राप्त करने का हकदार है ?

– वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी न. 1 व 2 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जा चुका है प्रतिवादीगण ने वादी को उनके हको से वचित कर रखा है तथा वो जैरप्रकरण दोनो किलो के पश्चिमी पासा के 4 – 4 बिस्वा चाड़ैाई में अलग – अलग लम्बाई में कब्जा कर रखा है व कब्जा के दौरान वादी अपने रकबा की फसल काश्त नही कर सकता। वादी के अधिकारो की सुरक्षा नही हो रही है इसलिये मै दावा के दर्ज विवादित भूमि का कब्जा ही वादी को दिलाना उचित समझता हूँ। मुआवजा के बाबत रकबा आधा अनकमाण्ड होने से ठेका राशि ज्यादा दर्ज होने से नकद प्रतिभूति राशि दिलाना इस स्तर पर सम्भंव ना होने से खारिज किया जाने योग्य है।

तनकी न. 4 :–अन्य अनुतोष ....

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 14 एसएलडी के पत्थर न. 76/380 के किला न. 25 व पत्थर न. 76/381 के किला न. 5 के पश्चिमी पासा के 4–4 बिस्वा चौड़ाई में प्रतिवादी न. 1 ता 6 को वादी के रकबा पर प्रतिवादी न. 1 को [illegible] स.एल.डी. के पत्थर नं. [illegible] .... 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested

14 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 76/380 के किला नं. 25 के 120×33 = 3960 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 2 ने प्रतिवादी नं. 1 के दक्षिणी दिशा में इसी पत्थर के इसी किला नं. 25 के 34×33 = 1122 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 3 ने प्रतिवादी नं. 2 के दक्षिणी पासा की तरफ इसी किला नं. 25 के 11×33 = 363 वर्गफुट व पत्थर नं. 76/381 के किला नं. 5 के पश्चिमी पासा पर 23×33 = 759 वर्गफुट रकबा पर व प्रतिवादी नं. 4 ने प्रतिवादी नं. 3 के दक्षिणी पासा के इसी पत्थर के किला नं. 5 के 67×33 =2211 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 5 ने प्रतिवादी नं. 4 के दक्षिणी की तरफ इसी किला नं. 5 के 64×33 = 2112 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 6 ने प्रतिवादी नं. 5 के दक्षिणी की तरफ इसी किला नं. 5 के 11×33 = 363 वर्गफुट रकबा पर अतिक्रमण किये जाने से अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा इस रकबा पर से प्रतिवादी न. 1 ता 6 का अतिक्रमण हटवाकर इस रकबा का कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते है व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो उन्हे पुलिस थाना सदर सूरतगढ़ की मदद प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार परचा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिकी ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार, मीणा आर.ए.एस

अन्नतराम पुत्र श्री देवाराम जाति ब्राहम्ण निवासी भैरूपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

1. जीताराम पुत्र श्री बिरधाराम जाति नायक सा. भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़।
2. जलन्धरसिह पुत्र श्री सरजीतसिह जाति मजहवी सा भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह. सूरतगढ।
3. अमीचन्द पुत्र श्री भोमाराम जाति बावरी साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह. सूरतगढ।
4. छीरासिह पुत्र श्री दलवारा सिह जाति मजहबी सा. भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह. सूरतगढ।
5. बलराम पुत्र श्री रामकरण जाति बावरी साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह. सूरतगढ।
6. बनवारी पुत्र श्री मोटाराम जाति बाबरी साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह. सूरतगढ।
7. मनीराम पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट सा भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह सूरतगढ।
8. खेताराम पुत्र श्री काशीराम जाति जाट सा भेरूपुरा उर्फ सीलवाणी तह सूरतगढ।
9. तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

अर्तगत धारा 88, 188, 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 236 वर्ष 2016 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा व वकील प्रतिवादी न. 7 जसवीर सिह व प्रतिवादी न. 08 वकील धर्मपाल सिहाग व पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 14 एसएलडी के पत्थर न. 76/380 के किला न. 25 व पत्थर न. 76/381 के किला न. 5 के पश्चिमी पासा के 4–4 बिस्वा चौड़ाई में प्रतिवादी न. 1 ता 6 को अतिक्रमी घोषित किया जाकर वादी के रकबा पर प्रतिवादी न. 1 को चक 14 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 76/380 के किला नं. 25 के 120×33 = 3960 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 2 ने प्रतिवादी नं. 1 के दक्षिणी दिशा में इसी पत्थर के इसी किला नं. 25 के 34×33 = 1122 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 3 ने प्रतिवादी नं. 2 के दक्षिणी पासा की तरफ इसी किला नं. 25 के 11×33 = 363 वर्गफुट व पत्थर नं. 76/381 के किला नं. 5 के पश्चिमी पासा पर 23×33 = 759 वर्गफुट रकबा पर व प्रतिवादी नं. 4 ने प्रतिवादी नं. 3 के दक्षिणी पासा के इसी पत्थर के किला नं. 5 के 67×33 =2211 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 5 ने प्रतिवादी नं. 4 के दक्षिणी की तरफ इसी किला नं. 5 के 64×33 = 2112 वर्गफुट व प्रतिवादी नं. 6 ने प्रतिवादी नं. 5 के दक्षिणी की तरफ इसी किला नं. 5 के 11×33 = 363 वर्गफुट रकबा पर अतिक्रमण किये जाने से अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा इस रकबा पर से प्रतिवादी न. 1 ता 6 का अतिक्रमण हटवाकर इस रकबा का कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाते है व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो उन्हे पुलिस थाना सदर सूरतगढ़ की मदद प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है।

नोज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बषरह.....फस्दों की पालना.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.08.2020 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:38:08 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।